

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

संलग्नक दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अधिका. भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु गिन्तोंना करीब तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने को उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 15-5-2019 को लखनऊ, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संचालित हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु कार्यदिशानों संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश अगला सत्र हेतु/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के अनुमोदन में सम्बद्धता समिति को बैठक में मत-2 में किस्मतोंमा इन ड्यूटी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन शिक्का-निर्देश का निर्माण निर्णय लिया गया -

"संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आशय पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ के माध्यम से सत्र 2019-20 हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अगला सत्र हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	दायक/अन्य नाम	संस्था/प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	संस्था	सुभाष इन्स्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फार्मेशन मैनेजमेंट	विज्ञानिक इंजीनियरिंग निर्देश शर्तों संबन्धित शर्तों निर्देशित सम्बद्धता	130 100 80 60	170 150 80 60

शर्तें/शर्तें हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0अ0अ0अ0अ0अ0अ0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करने।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनवाली 1992 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन करोड़ डीजी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 15,00,000/- प्रतिवर्ष को वार्षिक कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,00,000/- प्रतिवर्ष एवं ए0ए0ए0 तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वर्षों में पूर्णतः पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,50,000 प्रतिवर्ष शुल्क को वार्षिक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क को संस्थान में स्वयं-स्वयं एवं वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों तथा/वादी को, और सर्वोत्तम कार्यवाही किया जाता जायेगा होगा। शीत निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु शर्तों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शर्तों को नवीनतम कर लया होगा।
- ✓ संस्था को लखनऊ प्राविधिक शिक्षा समिति/संस्था एवं समिति/संस्थाओं में सम्बद्ध शिक्षा (अन्य) विनियमनवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सर्वोत्तम प्रवेश ए0आ0ए0ए0 द्वारा आशयित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के सिवाय ख ख करने की शक्ति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को स्वयं-स्वयं पर निर्यात शासनादेशों को अनुपालन निरिच्छक एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को योग्य/उपयुक्त/उचित से अगामी स्तर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी गठे विधि/नियम/अधिनियम/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, संघ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, संघ द्वारा बनाये गए नियमों, विनियमों, आदेशों/निर्देशों का पालन करने से कितने प्राण्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन फर्मेसी पाठ्यक्रम की संख्याएं यदि किसी आई. आई. विद्यापीठ से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संघ में समस्त उत्तरदायित्व शाखा का होगा और किंचित काम भी किसी भी कार्यवाही को लिए संस्था द्वारा उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशक/सम. एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी कार्य प्राप्त किया जाता है संघ द्वारा यदि संभव है तो न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की नोड्युली संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त नोड्युली संबंधित संस्था ही करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन फर्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु प्राविधिक शिक्षा बोर्ड से एवं पीसीआईए से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद, शासन को उपलब्ध करानी होगी अथवा अन्य प्रयोग की (कार्यालयिक को संशोधन से उत्तरदायी संस्था पर ही प्रवेश) अनुमोदन नहीं प्राप्त भी करेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये नवीनतम अन्वयन निर्णय का अनुपालन संस्था आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये की ऐतिहासिक सुविधायी, संघ, शासन-शाखा, उत्तरदायी, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, संशोधन सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही संघ, शासन को संशोधन से उत्तरदायी अथवा सुविधायी करनी होगी।
- ✓ संस्था वह सुविधायी ही से कि संस्था में प्रशिक्षित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के साथ उपलब्ध कराये गये शर्तों, सुविधाएं, सुविधाएं, सुविधाएं, सुविधाएं का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वातावरण में संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इतनी जानकारी होगी है कि संस्था उत्तरदायी को प्रयोग कितनी अन्य जारी के लिए कर रही है तो संस्था संस्था को संशोधन संस्था किये जाने की अनुमति भी करेगी।
- ✓ संशोधन परीक्षा का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निष्कासना अनुपालनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठ सं- प्राविध/परिषद संस्कृत/2019/1133-2252

सं दिनांक: 15-5-2019

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निर्देशक, सूया इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी इण्डिया, गोरखपुर।

91
(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

